छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च, 2025 (फाल्गुन 16,1946)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (च) की अपेक्षानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2023–24 (दिनांक 01 जुलाई, 2023 से 30 जून,2024) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री रिकेश सेन, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की मुख्य एवं अवसर परीक्षा की अंकसूची की द्वितीय प्रति विद्यार्थियों को प्रदाय नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, जिला महासमुंद में धान खरीदी केन्द्रों से धान का उठाव नहीं होने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(3) सर्वश्री अजय चंद्राकर, ब्यास कश्यप, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों को भर्ती नियम में बदलाव कर उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(4) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, प्रदेश की कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा भण्डार क्रय नियम का पालन नहीं किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(6) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत दुकानों में कनकी युक्त चावल का वितरण किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(7) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, भूमाफियाओं के द्वारा किसानों की जमीन हड़पने के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(8) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, राजनांदगांव जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(9) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, खैरागढ़ अंतर्गत बाईपास में बन रही उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(10) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, खैरागढ़ जिले में पत्थरों के अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(11) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, प्रदेश में मुरूम के अवैध उत्खनन एवं परिवहन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(12) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, प्रदेश में महतारी वंदन योजना का पात्र महिलाओं को लाभ नहीं मिलने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(13) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में पुलिसकर्मियों की आत्महत्या में निरंतर वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में ऑनलाईन ठगी के मामलों में निरंतर वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री से दुर्घटनाएं घटित होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में नवजात शिशुओं की चोरी की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, प्रदेश में अमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री की जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(18) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश के बुनकरों को शासन–प्रशासन की महत्वकांक्षी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, प्रदेश में गौ तस्करी एवं गौमांस की बिक्री किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, जिला बालोद के वन क्षेत्रों की भूमि पर अवैध कब्जा एवं भवन का निर्माण किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(21) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, जिला बस्तर में सी.जी.बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूलों में सी.बी.एस.ई.पैटर्न पुस्तकों से पढ़ाई कराये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री दिलीप लहरिया, सदस्य, बिलासपुर जिला अंतर्गत एनटीपीसी सीपत से ओवरलोड राखड़ का परिवहन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री उमेश पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले में यंगटी इंटर प्राईजेज को बिना जांच कराये खनन की अनुमति दिये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री उमेश पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिला की केलो परियोजना में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा एवं परियोजना का लाभ नहीं मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्री उमेश पटेल, सदस्य, रायगढ़ जिले में जल जीवन योजना का कार्य पूर्ण नहीं होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(26) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, नगर पालिका परिषद् अकलतरा में बिना कार्य कराये पूरी राशि का गबन किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, अकलतरा में बायपास सड़क निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कार्य का प्रारंभ नहीं हो पाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजनांतर्गत निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन से शासन को आर्थिक क्षति होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री गजेन्द्र यादव, सदस्य, नगर निगम दुर्ग में जमा किये गये सावधि जमा राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 4

(31) डॉ. चरणदास महंत, श्री विक्रम मंडावी, श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, प्रदेश के आदिवासी कन्या छात्रावासों में यौन शोषण की घटनाएं घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्री भईयालाल राजवाड़े, सदस्य, जिला–एम.सी.बी. में औद्योगिक क्षेत्र परसगढ़ी में आबंटित भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) श्री राजेश मूणत, सदस्य, अमृत मिशन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(34) श्री राजेश मूणत, सदस्य, रिएजेंट खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(35) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिलासपुर जिले में उद्योगों द्वारा भू–भाटक एवं संधारण शुल्क जमा नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(36) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती एवं लो वोल्टेज की समस्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(37) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, बीजापुर जिले के छात्र–छात्राओं द्वारा रोजगार की तलाश में पलायन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(38) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले में लूट, चोरी, डकैती एवं चाकूबाजी की घटना में निरंतर वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(39) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का निराकरण नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(40) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, जायसवाल निको कंपनी द्वारा ग्राम गिरौद की जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(41) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2023 के चतुर्थ चरण के व्यवसाय–कोपा को नियुक्ति पत्र नहीं दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार) का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(42) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, विधानसभा क्षेत्र धरसींवा अंतर्गत उद्योग द्वारा फ्लाई एश एवं काले डस्ट का अवैध डंपिंग किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(43) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, सड़क दुर्घटना में मृत्यु उपरांत भी पुलिस विभाग द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज नहीं किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 5

(44) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, शासकीय जिला चिकित्सालय राजनांदगांव में मरीजों के इलाज हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(45) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, जिला राजनांदगांव अंतर्गत किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति नहीं किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(46) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, जिला चिकित्सालय कबीरधाम में जीवन दीप समिति द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(47) श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती चातुरी नंद, श्री संदीप साहू, सदस्य, धमतरी जिला अंतर्गत गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(48) श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग में व्याप्त अनियमितता किया जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(49) श्री इन्द्र साव, सदस्य, नगर पालिक निगम रिसाली में साफ सफाई के नाम पर आर्थिक अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(50) श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य, विकासखण्ड दुलदुला, ग्राम छेरडांड़ अंतर्गत श्री नदी पर कुकुरभुक्का एवं बरगनबहार स्थान पर बांध का निर्माण नहीं किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(51) श्री जनक ध्रुव, सदस्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों का निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरलीकरण किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(52) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, प्रदेश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को घोषित नहीं किये जाने की ओर खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(53) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(54) सर्वश्री रिकेश सेन, सुशांत शुक्ला सदस्य, आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामचन्द्रपुर का परीक्षा केन्द्र बदलने से अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को असुविधा होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(55) श्री विक्रम मंडावी, सदस्य, जिला बेमेतरा अंतर्गत ग्राम सोंढ़ से पतोरा सड़क निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं होने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(56) श्री बालेश्वर साहू, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले के अंतर्गत संचालित प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा द्वारा कर्मचारियों की भर्ती में राज्य शासन द्वारा की गई एम.ओ.यू. का पालन नहीं किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 6

निर्धारित समय (शेष चर्चा)

4. वित्तीय वर्ष 2025–2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) **श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या 20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय

मांग संख्या 24 लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल

मांग संख्या 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

मांग संख्या 67 लोक निर्माण कार्य – भवन

मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण

मांग संख्या 76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

2 घंटे (2) **श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या 10 वन

मांग संख्या 17 सहकारिता

मांग संख्या 23 जल संसाधन विभाग

मांग संख्या 45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य

मांग संख्या 47 कौशल विकास

मांग संख्या 57 जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मांग संख्या 75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मांग संख्या 28 राज्य विधान मण्डल

2 घंटे (3) **श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के विभागों से संबंधित–**

मांग संख्या 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

5. अशासकीय संकल्प

30 मिनट (1) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश के मोटर साईकिल चालकों को हेलमेट व कार चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जाये।''

क्रमशः 7

निर्धारित समय

30 मिनट (2) श्री रिकेश सेन, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाये।''

30 मिनट (3) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि ''छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2025 बनायी जाये।''

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 06 मार्च, 2025